न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2024

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र भादर जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा। – प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए 1955

उपस्थिति :—श्री कालूराम शर्मा प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 6/68 के खसरा सं0 198, 251, 70, की कुल 10.0270है0 में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में विनोद पुत्र भादर दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार पुत्र भादर है। विनोद पुत्र भादर संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम मनोज कुमार पुत्र भादर ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम विनोद पुत्र भादर दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई ।

साक्ष्य प्रार्थी में मनोज कुमार पुत्र भादर द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भांगवा, राशन कार्ड प्रति व शपथ पत्र सहखातेदारान , आदि प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार पुत्र भादर है जबकि राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूलवंश विनोद पुत्र भादर दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों व रिपॉर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार पुत्र भादर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 6/68

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

के खसरा सं0 198, 251, 70, की कुल 10.0270है0 में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विनोद पुत्र भादर दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम मनोज कुमार पुत्र भादर है तथा तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपॉर्ट में भी उक्त अंकन राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूल बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र/वाद प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं सपठित धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वे रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 6/68 के खसरा सं0 198, 251, 70, की कुल 10.0270है0 में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में विनोद पुत्र भादर का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम मनोज कुमार पुत्र भादर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय विनोद पुत्र भादर के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम विनोद पुत्र भादर ही लागू होगा। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

मि0न0 – 06/2024

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र भादर जाति जाट निवासी भांगवा त0 भादरा। – प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कालूराम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भांगवा के खाता सं0 6/68 के खसरा सं0 198, 251, 70, की कुल 10.0270है0 में प्रार्थी के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में विनोद पुत्र भादर का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम मनोज कुमार पुत्र भादर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय विनोद पुत्र भादर के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम विनोद पुत्र भादर ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner